

कार्यालय नगर पालिका परिषद, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।

पत्रांक:-387 / न0पा0परि0अ0 / 2018-19

दिनांक: 22-09-2018

सार्वजनिक-सूचना

नगर पालिका परिषद, अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर की समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर के समस्त 25 वार्डों को स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत "खुले में शौच से मुक्त" (ओ0डी0एफ0) घोषित करने की विज्ञापित दिनांक 06 सितम्बर 2018 को दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित कर 15 दिवस में सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किये गये थे, जिसके क्रम में निर्धारित अवधि में कोई सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः नगर पालिका परिषद, अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर के समस्त 25 वार्डों को स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत पूर्ण रुप से "खुले में शौच से मुक्त" (ओ0डी0एफ0) घोषित किया जाता है।

(सुरेश कुमार मौर्य)
अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।

(सरिता गुप्ता)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।

संख्या एवं दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "सुरामित्र/स्वतंत्रचेतना" को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. नाजिर कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका परिषद, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कम्प्यूटर आपरेटर को पालिका की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु
5. सम्बन्धित पत्रावली में रखने हेतु।

अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।